"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 477] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2016— पौष 9, शक 1938

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक 516/एल 2014-71-00187/वित्त/नियम/चार. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अवकाश नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

(1) नियम 5 में, शब्द एवं अंक "45 दिवस" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "90 दिवस" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"7. **अवकाश वेतन-** (1) ऐसे कर्मचारी, जो अर्जित अवकाश या प्रसूति अवकाश पर प्रस्थान करता है, को उसके अर्जित अवकाश या प्रसूति अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन की पात्रता होगी.

(2) असाधारण अवकाश लेने वाले कर्मचारी को, किसी प्रकार की अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी."

No. 516/L 2014-71-00187/Finance/Rules/IV. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Work-charged and Contingency paid Employees Leave Rules, 1977, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

(1) In rule 5, for the words and figures "45 days", the words and figures "90 days" shall be substituted.

(2) For rule 7, the following rule shall be substituted, namely :-

"**7. Leave Salary**- (1) An employee, who proceeds on earned leave or maternity leave, shall be entitled to leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on earned laeve or maternity leave.

(2) An employee on extraordinary leave shall not be entitled to any leave salary."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.